उत्तर प्रदेश शासन

पर्यटन अनुभाग

संख्या- 42/2017/2090/41-2017-26सा0/2017

लखनऊः दिनांक-22 सितम्बर, 2017

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम,1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद् अधिनियम, 2015 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-5 सन् 2015) की धारा 3 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या-897/आठ-6-15-11 गठन/2014, दिनांक 10 जुलाई, 2015 का अधिक्रमण करके, राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ एक परिषद् का गठन करते हैं, जिसे ब्रज तीर्थ विकास परिषद् के रुप में जाना जायेगा।

2. परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

(क)	मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश	अध्यक्ष (पदेन)
(ख)	राज्य सरकार द्वारा पूर्णकालिक रुप में नियुक्त व्यक्ति	उपाध्यक्ष
(ग)	प्रमुख सचिव/सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,	सदस्य (पदेन)
(घ)	प्रमुख सचिव/सचिव वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,	सदस्य (पदेन)
(ड0)	प्रमुख सचिव/सचिव पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,	सदस्य (पदेन)
(च)	प्रमुख सचिव/सचिव, संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,	सदस्य (पदेन)
(छ)	प्रमुख सचिव/सचिव नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,	सदस्य (पदेन)
(ज)	प्रमुख सचिव/सचिव परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,	सदस्य (पदेन)
(झ)	प्रमुख सचिव/सचिव वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,	सदस्य (पदेन)
(´)	प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,	सदस्य (पदेन)
(ट)	प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,	सदस्य (पदेन)
(ठ)	आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा,	सदस्य (पदेन)
(ड)	जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा	सदस्य (पदेन)
(ढ)	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश,	सदस्य (पदेन)
(ण)	परिषद का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जो सदस्य-सचिव होगा	सदस्य (पदेन)
(त)	उपाध्यक्ष, मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा	सदस्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(पदेन)

(थ)	ब्रज क्षेत्र की विरासत के संरक्षण के प्रयासों से सम्बन्धित ज्ञान, अनुभव, अभिदर्शन तथा विगत उपलब्धि रखने वाले, और उपाध्यक्ष, प्रमुख सचिव/सचिव, संस्कृति और प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यटन, उत्तर प्रदेश शासन के परामर्श से अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले पॉंच विख्यात व्यक्ति।	सदस्य
(द)	ऐसे दाता, जो 10 करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक दान देते हैं, परिषद के अनुमोदनोपरान्त, नामनिर्दिष्ट सदस्य के रुप में माने जाने हेतु पात्र होंगे,	सदस्य
(ध)	परिषद् को सलाह देने के लिये राज्य सरकार द्वारा नियुक्त विधि सलाहकार।	सदस्य

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Uttar Pradesh Shasan
Paryatan Anubhag

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 42/2017/ 2090 /41-2017-26 SA/2017, dated September 22, 2017 :-

NOTIFICATION
No. 42/2017/ 2090/41-2017-26 SA/2017,
Lucknow : Dated September 22 , 2017

In exercise of the powers under section-3 of the Uttar Pradesh Braj Teerth Vikas Parishad Act, 2015 (U.P. Act. no. 5 of 2015) read with section-21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act. no. 1 of 1904) and in supersession of Government Notification no. 897/VIII-6-15-11 Gathan/2014 dated July 10, 2015, the Governor is pleased to constitute a Parishad for the purposes of the said Act, to be known as Braj Teerth Vikas Parishad.

2. The Parishad shall consist of the following members, namely:-

(a)	the Chief Minister, Uttar Pradesh	Chairperson (ex officio)
(b)	a person appointed by the State Government as full time,	Vice-Chairperson
(c)	the Principal Secretary/Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Department of Housing and Urban Planning,	Member (ex officio)
(d)	the Principal Secretary/Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Department of Finance,	Member (ex officio)
(e)	the Principal Secretary/Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Department of Tourism,	Member (ex officio)
(f)	the Principal Secretary/Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the	Member (ex officio)

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	Department of Culture,	
(g)	the Principal Secretary/Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Department of Urban Development (Nagar Vikas) ,	Member (ex officio)
(h)	the Principal Secretary/Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Department of Transport,	Member (ex officio)
(i)	the Principal Secretary/Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Department of Forest,	Member (ex officio)
(j)	the Principal Secretary/Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Department of Environment,	Member (ex officio)
(k)	the Principal Secretary/Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Department of Public Works,	Member (ex officio)
(l)	the Commissioner, Agra Division, Agra	Member (ex officio)
(m)	the District Magistrate, Mathura,	Member (ex officio)
(n)	the Chief Town and Country Planner, Uttar Pradesh,	Member (ex officio)
(o)	the Chief Executive Officer of the Parishad, who shall be Member- Secretary,	Member (ex officio)
(p)	the Vice-Chairman, Mathura-Vrindavan Development Authority, Mathura,	Member (ex officio)
(q)	five eminent public figures having knowledge, experience, exposure and track record of efforts for the conservation of heritage of Braj region, to be nominated by the Chairperson in consultation with the Vice-Chairperson, the Principal Secretary/Secretary Culture and the Principal Secretary/ Secretary Tourism to the State Government.	Members
(r)	donors who make a donation of Rs. 10 crores	Member

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	or more shall be eligible to be considered as a nominated member after the approval of the Parishad.	
(s)	a legal adviser to advise the Parishad appointed by the State Government.	Member

By Order,

(Awanish Kumar Awasthi)
Pramukh Sachiv.

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 42(1)/2017/2090/41-2017-26सा0/2017 दिनांक सितम्बर, 2017

प्रतिलिपि अंग्रेजी एवं हिन्दी अधिसूचना सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को साधारण गजट दिनांक सितम्बर, 2017 के विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड- 'ख' में प्रकाशित करने तथा मुद्रित अधिसूचना की 300 प्रतियॉ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(बच्चू लाल)
उप सचिव

संख्या- 42(2)/2017/2090/41-2017-26सा0/2017 दिनांक 22 सितम्बर, 2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
2. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. ब्रज तीर्थ विकास परिषद के समस्त सदस्यगण एवं सदस्य सचिव।
4. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्रमुख सचिव, विधान परिषद्/विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
7. प्रमुख सचिव, गृह विभाग।
8. प्रमुख सचिव/सचिव राज्य सम्पत्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9. प्रमुख सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
11. राज्य सम्पत्ति अधिकारी, राज्य सम्पत्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
12. महानिदेशक पर्यटन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
13. मण्डलायुक्त, आगरा/जिलाधिकारी आगरा/जिलाधिकारी मथुरा।
14. उपाध्यक्ष मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा।
15 विधायी अनुभाग-1
16. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
17. आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
(बच्चू लाल)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।